VOL- IX | ISSUE- VIII | AUGUST | 2022 | PEER REVIEW e-JOURNAL | IMPACT FACTOR 7.331 | ISSN 2349-638x

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विकास में महात्मा गांधी का योगदान :

प्रा. डॉ.रमेश विठोबा कांबळे
(अध्यक्ष, हिन्दी विभाग)
वसंतराव काळे महाविद्यालय, ढोकी ता.जि.उस्मानाबाद

राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विकास में महात्मा गांधी का योगदान अभूतपूर्व रहा है। उन्होंने कहा था कि 'राष्ट्रभाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा हो सकता है'। भारतीय भाषाओं के प्रति विशेषत: हिन्दी के प्रति उनका लगाव भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रिका के प्रवासकाल के दौरान ही था। दक्षिण अफ्रिका के पत्र 'इंडियन ओपीनियन' 1906 में उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए हिन्दी को नम्र, और ओजस्वी के रूप में स्वीकार किया था। महात्मा गांधी की मातृभाषा गुजराती थी और उन्हें अंग्रेजी भाषा का उच्च कोटी का ज्ञान था फिर भी सभी भारतीय भाषाओं के प्रति उनके मन में विशिष्ट सम्मान की भावना थी। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करे, उसमें कार्य करें किन्तु देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिन्दी भाषा भी वह सीखे यह उनकी प्रबल इच्छा थी।

गांधीजी भाषा को माता मानते थे तथा हिन्दी का सबल समर्थन करते थे। उन्होंने 'हिन्द स्वराज'(सन् 1909ई.) में अपनी भाषा-नीति की घोषणा इस प्रकार की थी- "सारे हिन्दुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए, वह तो हिन्दी ही होना चाहिए। उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट होना चाहिए। हिन्दू-मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए हिन्दुस्तानियों को इन दोनों लिपियों को जान लेना जरूरी है। ऐसा होने से हम आपस के व्यवहार में अंग्रेजी को निकाल सकेंगे।"1

महात्मा गांधीजी ने भारत आकर अपना पहला महत्वपूर्ण भाषण 6 फरवरी 1916 को बनारस में दिया था। उस दिन भारत के वायसराय लार्ड हार्डिंग वहाँ बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने आए थे। मदन मोहन मालवीय के विशेष नियंत्रण पर महात्मा गांधी भी इस समारोह में शामिल हुए थे। मंच पर लार्ड हार्डिंग के साथ एनी बेसेंट और मालवीयजी भी थे। समारोह में बडी संख्या में देश के राजा-महाराजा भी शामिल हुए थे। ये लोग देश के कोने-कोने से तीस विशेष रेलगाड़ियों से आए थे। मालवीयजी के आग्रह पर जब महात्मा गांधी बोलने खड़े हुए तो सभी लोग उनका भाषण सुनकर अवाक् हो गए।

सर्वप्रथम उन्होंने समारोह की कार्रवाई एक विदेशी भाषा अंग्रेजी में चलाए जाने पर आपत्ति की ओर दु:ख जताया। फिर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय मंदिर की गलियों में व्याप्त गंदगी की आलोचना की। इसके बाद उन्होंने मंच पर और सामने बैठे राजा-महाराजाओं की उपस्थिति में देश के असंख्य दरिद्रों की दारून स्थिति का ध्यान दिलाया। जब तक देश का अभिजात वर्ग इन मूल्यवान अभूषणों को उतारकर उसे देशवासियों की अमानत समझते हुए पास नहीं रखेगा, तब तक भारत की मुक्ति संभव नहीं।

इसके बाद गांधीजी ने 20 अक्तुबर 1917 इ.को गुजरात के द्वितीय शिक्षा सम्मेलन में दिए गए अपने भाषण में राष्ट्रभाषा के कुछ विशेष लक्षण बताए थे, वे इस प्रकार है –

1) वह भाषा राजकर्मचारियों के लिए आसान हो।
2) उस भाषा के द्वारा भारत वर्ष के परस्पर धार्मिक, आर्थिक और राजनैतिक व्यवहार हो सके।
3) उस भाषा को देश के अधिकांश लोग बोलते हो।
4) वह भाषा राष्ट्र के लिए सरल हो।
5) वह भाषा क्षणिक या अल्पस्थायी स्थिति के ऊपर निर्भर न हो।

अत: कहा जा सकता है कि पाँच लक्षणों से युक्त हिन्दी भाषा की समता करनेवाली कोई और भाषा है ही नहीं। जिसे उत्तर में हिन्दू और मुसलमान बोलते है और देवनागरी या फारसी में लिखते हैं। 20 अक्तुबर के बाद 11 नवम्बर 1917 को बिहार के मुजफ्फरपूर शहर में भाषण करते समय गांधीजी ने कहा, "मैं कहता आया हूँ कि राष्ट्रीय भाषा एक होनी चाहिए और वह हिन्दी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य यह है कि हम अपना राष्ट्रीय कार्य हिन्दी भाषा में करें। हमारे बीच हमें अपने कानों में हिंदी के ही शब्द सुनाई दें, अंग्रेजी के नहीं। इतना ही नहीं, हमारी धारा सभाओं में जो वाद-विवाद होता है, वह भी हिन्दी में होना चाहिए। ऐसी स्थिति लाने के लिए मै जीवन-भर प्रयत्न करूंगा।"2 इस दृष्टि से गांधीजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने हिन्दी के राष्ट्रव्यापी प्रचार-प्रसार के लिए सुविचारित योजना प्रस्तुत की और हिन्दी प्रचार के कार्य को मिशनरी स्वरूप प्रदान किया।

सन् 1918 में गांधीजी ने इंदौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन के आठवें अधिवेशन के अपने भाषण में कहा था "भाषा माता के समान है। माता पर हमारा जो प्रेम होना चाहिए,वह लोगों में नहीं है। शिक्षित वर्ग अंग्रेजी के मोह में फँस गया है और अपनी राष्ट्रीय मातृभाषा से उसे असंतोष हो गया है। पहली माता से (अर्थात् अंग्रेजी से) जो दूध मिलता है, उसमें जहर और पानी मिला हुआ है और दूसरी माता से (अर्थात् हिन्दी से) शुद्ध दूध मिलता है। बिना इस शुद्ध दूध के हमारी उन्नती होना असंभव है। पर जो अन्धा है, वह देख नहीं सकता और गुलाम नही जानता कि अपनी बेड़ियाँ किस तरह तोडे। पचास वर्षों से हम अंग्रेजी के मोह में फँसे है। हमारी प्रजा अज्ञान में डूबी है.... हमें ऐसा उद्योग करना चाहिए कि एक वर्ष में राजकीय सभाओं में, कांग्रेस में, प्रांतीय सभाओं आदि में अंग्रेजी का व्यवहार बिल्कुल त्याग दें। अंग्रेजी सर्वव्यापक भाषा है पर यदि अंग्रेज सर्वव्यापक न रहेंगें, तो अंग्रेजी भी सर्वव्यापक न रहेगी। अब हमें अपनी मातृभाषा को नष्ट करके उसका खून नहीं करना चाहिए। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का गौरव प्रदान करें।"3 इस प्रकार इंदौर साहित्य- सम्मेलन के अवसर पर गांधीजी ने हिन्दी के प्रचार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ कराया जिसका संबंध दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार से था।

सन 1920 में गांधीजी ने मद्रास प्रेसीडेंसी की जनता से अपील की कि वह लोगों द्वारा हिन्दी सिखने की राष्ट्रीय आवश्यकता को स्वीकार कर ले। इसके बाद मुख्यता: हिन्दी साहित सम्मेलन के तत्वाधान में कई अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी के प्रसारार्थ संगठन बनाए गए। गांधीजी ने जनता से यही कहा कि मेरे जीवन में मूलभूत रूप से दो सिद्धान्त है - "अगर मुझे अकेले ही छोड दिया आए तो आप मुझे अपनी शक्ति भर सूत कातने और दत्तचित्त होकर हिन्दुस्तानी की पुस्तकों को पढ़ने हुए पाएंगें।"4 इस प्रकार से लोगों को हिन्दी के प्रति विश्वास दिलाते हुए तानाशाही के विरोध में खडे होकर कहते है- अगर मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो, तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए दी जानेवाली हमारे लड़कों और लड़कियों की शिक्षा बन्द कर दूँ और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से यह माध्यम तुरन्त बदलवा दूँ या उन्हें बर्खास्त करा दूँ"5

गांधीजी हिन्दी को लोगों को समझने के लिए आसान मानते थे और हिंदी के प्रति अधिक लगाव रखते हुए कहते है- "हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा पद पर आरूढ होने के लिए ऐसा होना चाहिए, जिससे उसको सर्व साधारण आसानी से समझ सके"6 हिंदी के सवाल को गांधीजी

केवल भावात्मक दृष्टी से ही महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, अपितु उसे एक राष्ट्रीय आवश्यकता के रूप में भी देखने पर जोर देते थे। 10 नवम्बर 1921 के 'यंग इंडिया' में उन्होंने लिखा ," हिन्दी के भावनात्मक अथवा राष्ट्रीय महत्व की बात छोड दें तो भी यह दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक आवश्यक मालूम होता जा रहा है कि तमाम राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को हिन्दी सीख लेनी चाहिए और राष्ट्र की तमाम कार्यवाही हिन्दी में ही की जानी चाहिए।"7 इस प्रकार असहयोग आंदोलन के दौरान गांधीजी ने पूरे देश में हिन्दी का राष्ट्रभाषाके रूप में प्रचार काफी जोरदार ढंग से किया और उसे राष्ट्रीय एकता, अखंडता, स्वाभिमान का पर्याय-सा बना दिया। गांधीजीने अपने पुत्र देवदास गाँधी को हिन्दी-प्रसार के लिए दक्षिण भारत भेजा था। दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना उन्ही की परिकल्पना का परिणाम है। उन्होंने वर्धा में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हिन्दी के प्रचार-प्रसार के उदेश्य से ही की थी तथा जन नेताओं को भी हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया था। उनकी प्रेरणा के ही परिणामस्वरूप हिन्दीतर भाषा-भाषी प्रदेशों के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिन्दी को सिख लिया था और उसे व्यापक जन-सम्पर्क का माध्यम बनाया था।

सन् 1925 में कांग्रेस के कानपूर अधिवेशन में गांधीजी की, प्रेरणा से कांग्रेस की भाषानिति तय हो गई। उसमें उन्होंने आन्तरप्रान्तीय के लिए हिंदी का प्रयोग करने की बात करते हुए कहते है -"आपकी अपनी राष्ट्रभाषा है, जो हिन्दी है। आप आन्तरप्रान्तीय मामलों में आसानी से उसका प्रयोग कर सकते है। भले ही वह टूटी-फूटी हो।"8 महात्मा गांधी ने सभी भारतीय भाषाओं का उचित आदर और हिन्दी प्रति सम्मान प्रकट करते हुए 17 मई 19942 तथा अगस्त 1946 में को कहा था,"महान प्रांतीय भाषायों को उनके स्थान से च्युत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय भाषा की इमारत प्रांतीय भाषाओं की नींव पर ही खड़ी की जानी है। दोनों का लक्ष्य एक-दूसरे की जगह लेना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की कमी को पूरा करना है।"9 इस प्रकार महात्मा गांधी के विचार, महान् भारतीय नेताओं की भावना और हिंदी भाषा -भाषी जनता की विशाल संख्या को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त चिन्तन-मनन के उपरान्त भारतीय संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को भारतीय संविधान में राजभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान की थी।

जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ऐसे माहौल में एक विदेशी पत्रकार महात्मा गाँधी से मिला और अपना संदेश अंग्रेजी में कहने के लिए कहा। थोडी देर तक गांधी जी शांत बने रहे और उस पत्रकार को उत्तर दिया कि- 'दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी नहीं जानता'। गांधी जी के अभियान का परिणाम यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा अन्य क्षेत्रों के साहित्यकारों ने जनपदीय भाषा को भूलकर राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के विकास के लिए अपनी कलम चलाई तथा हिन्दी के विकास में योगदान देना अपना राष्ट्रीय धर्म समझा।

संदर्भ :

1) आजकल - अक्तूबर 2015 कुमार कृष्णण का लेख, पृ.7
2) आजकल - अक्तूबर 2015 कुमार कृष्णण का लेख, पृ.9
3) हिन्दी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, जनभाषा- शंकर दयाल सिंह प्र.45
4) यंग इंडिया 2 फरवरी 1921
5) नवजीवन 2 सितम्बर 1921
6) लिडर 21 अक्तूबर 1925
7) यंग इंडिया 10 नवम्बर 1921
8) अजकल अक्तूबर 2015 पृ. 9
9) आजकल अक्टूबर 2015 प्र.9